बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800001

वि॰सं॰ 02/2017 एवं 03/2017, 04/2017, सहायक अभियन्ता (असैनिक/यांत्रिक) की प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा

आवश्यक सूचना

वि॰सं॰ 02/2017 एवं 03/2017, 04/2017, सहायक अभियन्ता (असैनिक/यांत्रिक) की प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये आवेदन में अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का ईमेज अस्पष्ट/अपठनीय एवं रिक्त है। वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात/साक्ष्य, परीक्षा की निर्धारित तिथि 15.09.2018 एवं 16.09.2018 को संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे:–

1. अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्णरूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाऐंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिन्दी एवं अंग्रेजी में करेंगे।
2. राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित दो रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई–प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाऐंगे। दूसरा फोटो ई–प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति में संबंधित परीक्षा पर केन्द्राधीक्षक के समक्ष चिपकाऐंगे।
3. आई॰डी॰ प्रूफ यथा– पैन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/वोटर आई॰डी॰ कार्ड इत्यादि में किसी एक की छायाप्रति, जो राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित हो, उसे केन्द्राधीक्षक को निश्चित रूप से समर्पित/जमा करेंगे। उक्त पहचान–पत्र की मूल प्रति भी अपने साथ रखेंगे।
4. केन्द्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपर्युक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान/सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।
5. उक्त तीनों विज्ञापनों में जो अभ्यर्थी दोनों हाथों से विकलांग हो अर्थात वे स्वयं से लिख नहीं सकते हो, दृष्टि निःशक्त सेरिब्रल पॉल्सि या मनोविकार से ग्रस्त हो तथा उनके नाम Medical Board द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्गत हों जिसमें निःशक्तता 40% या उससे अधिक हो तो वे अपना आवेदन/प्रमाण पत्र के साथ संबंधित केन्द्राधीक्षक के पास परीक्षा की तिथि से एक दिन पूर्व समर्पित करेंगे जिससे कि उन्हें श्रुतिलेखक उपलब्ध कराया जा सके।
6. **इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator/Mobile का अन्य Electronic गैजेट परीक्षा हॉल में ले जाना वर्जित है। यदि परीक्षा हॉल में किसी के पास उक्त सामग्री पाया जाता है तो उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।**

2.9.18

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना